



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

लीडरशिप अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - उन्नावखण्ड

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 282/25 द्वारा दिनांक 21.05.25 निर्णय दिनांक 21.05.25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>उन्नावखण्ड</u>	<u>277</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p>	<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उन्नावखण्ड</u> पर <u>उन्नावखण्ड</u> खातासं. <u>277</u> में वर्तमान प्रविष्टि वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>हस्ताक्षर पत्रावली</p> <p>हस्ताक्षर गिरदार</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर</p>

प्रतिनिधि पालनासं:-

1. पटवारी पटवार मण्डल उन्नावखण्ड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें। कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन